कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी (म0प्र0)

दूरभाष एवं फैक्स नं 07492-221012 ई मेल dfoshivp@mp.gov.in मोबाइल : 9424794737

क्रमांक/डी.एम./2019/ 8332 शिवपुरी, दिनांक/ 11-06-19

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
राजघाट वाई नहर वितरण संभाग
खनियाधाना जिला शिवपुरी (म0प्र0)

विषय:- अशोकनगर एवं शिवपुरी जिले में लोअर ओर बृहद सिंचाइ परियोजना (केन वेतवा लिंक परियोजना) के निर्माण हेतु 968.24 हैक्टर वन भूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग पर देने वावत ।

संदर्भ:- अपर प्रधानमुख्य वन संरक्षक (भू प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ -3/50/2014/10-11/15/510 दिनांक 14.02.2019 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 8-08/2016-एफ सी दिनांक 12.02.2019

---00---

विषयांकित के संबंध में लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 8-08/2016-एफ सी दिनांक 12.02.2019 01,02,(I to XXXXVII) एवं 03 शर्ते निर्धारित कर शिवपुरी एवं अशोकनगर जिले में लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना परियोजना (केन वेतवा लिंक परियोजना) के निर्माण हेतु 968.24 हैक्टर वन भूमि प्रभावित हो रही है । भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति संलग्न है ।

जिला शिवपुरी के अंतर्गत 273.66 हैक्टर वन भूमि प्रभावित हो रही है । म0प्र0शासन के आदेश क्रमांक एफ -5/16/2000/10-3 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार राशि 17,13,11,160 रूपये (राशि सत्रह करोड तेरह लाख गयारह हजार एक सौ साठ रूपये मात्र) नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि का निर्धारण किया गया है । भविष्य में यदि अंतर राशि की मांग की जाती है तो आप नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि जमा करने के लिए वाध्य है इस आशय का बचन पत्र प्रस्तुत करें ।

अतः आप भारत सरकार के संदर्भित पत्र के शर्त क्रमांक 02 (XI) अनुसार राशि 17,13,11,160 रूपये(राशि सत्रह करोड तेरह लाख गयारह हजार एक सौ साठ रूपये मात्र) ई पोर्टल के माध्यम से जमा करावे ।

राजस्व भूमि 1043.14 हैक्टर भूमि की वृक्षारोपण एवं आर डी एफ क्षेत्रों की वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत एकजाई मांग पत्र पृथक से जारी किया जावेगा ।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 8-08/2016-एफ सी दिनांक 12.02.2019 02,(XV) अनुसार कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (सी एटी)भारत सरकार / म0प्र0शासन के निर्धारित नॉर्मस के अनुसार वर्तमान प्रचलित दर से वन क्षेत्र के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यो की पृथक - पृथक योजना तेयार कर अनुमोदन उपरांत इस कार्यालय को प्रस्तुत करें , जिससे व्यय होने वाली राशि का मांग पत्र जारी किया जा सके ।

भारत सरकार संदर्भित पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं वांछित बचन पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(नवित भारती)
भा.व.से.
वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (म.प्र)
शिवपुरी, दिनांक/ 11-06-19

पृष्ठांकन क्रमांक/डी.एम./2019/ 8333

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(भू प्रबन्ध) भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।
2. मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवुपरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।
3. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग , 1250 तुलसीनगर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. कार्यपालन यंत्री लोअर ओर परियोजना बांध,जल संसाधन संभाग चंदेरी जिला अशोकनगर की ओर संदर्भित के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (म.प्र)